अनुदान संख्या 34 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 34 - DIRECT TAXES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5881,85,00				
				6186,94,00	6087,64,81	-99,29,19
पूरक	Supplementary	305,09,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					20,89,18
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	228,79,00				
				228,82,00	181,67,71	-47,14,29
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					41,52,21

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹9929.19 लाख) मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹30509.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall saving (₹9929.19 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grant of ₹30509.00 lakhs obtained in March, 2018 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय तथा व्यय पर	Collection of Taxes on				
कर संग्रहण	Income and Expenditure				
मू.	O.	573481.00			
पू.	S.	30509.00	601900.82	593547.94	-8352.88
पु.	R.	-2089.18			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(A) "Direction and Administration"-

(क) "अन्वेषण" – ₹4038.65 लाख के मूल प्रावधान को ₹88.09 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4126.74 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹902.71 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और कम स्थानों को किराए पर लिए जाने के कारण हुई।

(a) "Investigation" - the original provision of ₹4038.65 lakhs was augmented to ₹4126.74 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹88.09 lakhs. However, there was a saving of ₹902.71lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical re-imbursement, less tours undertaken and less hiring of spaces.

(ख) "निरीक्षण" – ₹621.35 लाख के मूल प्रावधान को ₹31.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹652.35 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹46.27 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को भरे न जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Inspection" - the original provision of ₹621.35 lakhs was augmented to ₹652.35 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹31.00 lakhs. However, there was a saving of ₹46.27 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards medical re-imbursement.

(खा) "अन्य व्यय – अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण" – ₹788.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹40.00 लाख का पूरक

(B) "Other Expenditure - Authority for Advance Rulings" - the original provision of ₹788.00 lakhs

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹828.00 कर दिया गया। तथापि, ₹143.06 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

was augmented to ₹828.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40.00 lakhs. However, there was a saving of ₹143.06 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – संगठन और प्रबंधन सेवाएं" – ₹59033.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹8523.46 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹67557.06 कर दिया गया जो, तथापि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्थगित होने, किराए में संशोधन होने तथा नए स्थानों को किराए पर लेने और स्टैंडिंग काउंसल के शुल्क के लिए कम निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹956.86 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Direction and Administration - Organisation and Management Services" - the original provision of ₹59033.60 lakhs was augmented to ₹67557.06 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8523.46 lakhs which, however, remained untulized to the extent of ₹956.86 lakhs - due to deferment of training programmes, revision of rent and hiring of new spaces and requirement of less funds towards fees to Standing Counsel.

(खा) "संग्रहण प्रभार – आयकर – आयुक्त तथा उनके कार्यालय" – ₹490874.76 लाख के मूल प्रावधान को ₹21644.95 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹512519.71 कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, विज्ञापन तथा प्रचार, पुरस्कार, स्टैंडिंग काउंसल के शुल्क के लिए कम निधि की आवश्यकता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा किराए में संशोधन के कारण ₹7790.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Collection Charges-Income Tax - Commissioners and their offices" - the original provision of ₹490874.76 lakhs was augmented to ₹512519.71 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹21644.95 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹7790.25 lakhs -due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards advertising and publicity, rewards, fees to Standing Counsel,receipt of less claims towards medical re-imbursement and revision of rent.

(III) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्राप्त हुई:–

(III) Savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" – ₹287.34 लाख की बचत (₹14215.84 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने, स्टैंडिंग काउंसल के शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा किफायत उपायों के कारण हुई ।

(A) "Direction and Administration - Research, Statistics and Publication" - saving of ₹287.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14215.84 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement, requirement of less funds towards fees to Standing counsel and economy measures.

(खा) "अन्य व्यय – विभागीय कैंटीन" – ₹246.13 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैंटीन संबंधी व्यय और स्टाफ के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Departmental Canteens" - saving of ₹246.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards canteen related expenses and staff.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

2. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) "निदेशन और प्रशासन – आसूचना" – ₹335.53 लाख का अधिक व्यय (₹119.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7606.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, दैनिक मजदूरी और आग से क्षतिग्रस्त कार्यालय के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(I) "Direction and Administration - Intelligence" -excess of ₹335.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7606.30 lakhs including supplementary grant of ₹119.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, medical re-imbursement, daily wages and re-construction of fire damaged office.

(II) "संग्रहण प्रभार – आयकर – प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय" – ₹173.52 लाख का अधिक व्यय (₹62.50 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7248.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "Collection Charges - Income Tax - Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - excess of ₹173.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7248.30 lakhs including supplementary grant of ₹62.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay On Public Works				
मू.	O.	10600.00			
पू.	S.	2.00	8786.55	8554.32	-232.23
पु.	R.	-1815.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12079.00			
पू.	S.	1.00	9752.64	9424.81	-327.83
पु.	R.	-2327.36			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹2047.68 लाख की बचत (जुलाई, 2017 तथा दिसम्बर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10602.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(I) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Acquisition of Ready-built Accommodation" - saving of ₹2047.68 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10602.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017); and

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – बने–बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹2655.19 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12080.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready-built Flats" - saving of ₹2655.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12080.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संपत्तियों की खरीद/निर्माण के कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of some proposals for purchase/construction of properties.